**OFFICE OF ASHOK KUMAR MISHRA, ASHISH KUMAR MISHRA**
ADVOCATE BELADULA, RAIGARH (C.G.)
MO. NO. - 98261 78414, 74406 06320, 62325 05188
e- Mail : ashok566303@gmail.com
mishrakumarashishrgh@gmail.com

Sr. No. आ.नो./442/2025 Date 3/9/2025

प्रति,

ऋषिकेश मिश्रा
ग्राम–राजपुर (बथानपारा ढाप रोड)
तहसील–लैलुंगा, जिला–रायगढ़ (छ0ग0)
मो.नं.–9340992793

## कानूनी नोटिस

मैं अपनी पक्षकारा नूतन सिदार सहायक संचालक, जन संपर्क कार्यालय जशपुर, जिला–जशपुर (छ0ग0) के अनुदेशानुसार आपको निम्नानुसार कानूनी नोटिस प्रेषित करता हूं :–

1. मेरी पक्षकारा जिला जन संपर्क कार्यालय जशपुर में सहायक संचालक पद पर कार्यरत एक कर्तव्य परायण ईमानदार एवं अपनी सेवा के प्रति समर्पित शासकीय अधिकारी है, जिसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के अनुक्रम में **अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को शासन के नियम कानून के अनुसार कार्य करने हेतु आदेशित एवं निर्देशित किया जाता है ।**
2. जिला जन संपर्क कार्यालय जशपुर में **रविन्द्र विश्वकर्मा नामक व्यक्ति अंशकालीन कर्मचारी के रूप में पदस्थ है** परंतु उक्त कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति निरंतर घोर लापरवाही व उदासीनता बरती जाती रही है, जिसके कारण मेरी पक्षकारा द्वारा समय–समय पर उसे यथोचित आदेश एवं निर्देश देकर **शासकीय कर्तव्यों का विधिवत निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है** एवं उसे निरंतर इस संबंध में समझाईश भी दी जाती रही है, जिससे रूष्ट होकर उक्त कर्मचारी ने **आप एवं आपके अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र की रचना करते हुये** मेरी पक्षकारा की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या का प्रयास करने का झूठा आरोप लगाकर मेरी पक्षकारा को ब्लेकमेल कर उसका भयादोहन करने एवं आप लोगों के साथ मिलकर इस भयादोहन और ब्लेकमेलिंग के अंतर्गत अवैध रकम की वसूली हेतु आप एवं आपके अन्य सहयोगियों की सहभागिता से आपके न्यूज पोर्टल में मेरी पक्षकारा का फोटो डालकर आपके मार्फत यह दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया कि मेरी पक्षकारा की प्रताड़ना से त्रस्त आकर एवं मेरी पक्षकारा द्वारा विधि विरुद्ध कार्य

**ASSOCIATES**

Ashok Kumar Mishra 7440606320 | Ashish Kumar Mishra 9826178414 | Rajendra Patel 9340828563 | Vijay Sharma 7000421407 | Smt. Archana Pandey 9702783565 | Smt. Sharda Mulik 9340019747
Praveen Tripathi 9425290081 | Prashant Sharma 8889819990 | Sheetu Tripathi (Raipur) 78798 29708 | Bhawna Sahu (Raipur) 8770505775 | Asima Verma (Raipur) 9770872747 | Smt. Mamta Sharma 9424145152
Vandana Kesharwani 7999775759 | Vidushi Sharma 9340276245 | Md. Asif Shaikh 7999868197 | Umesh Thawait 9098101176 | Nitesh Shrivas (Bilaspur) 7000326109 | Vandana Sahu (Durg) 7828074082

**OFFICE OF ASHOK KUMAR MISHRA, ASHISH KUMAR MISHRA**
ADVOCATE BELADULA, RAIGARH (C.G.)
MO. NO. - 98261 78414, 74406 06320, 62325 05188
e- Mail : ashok566303@gmail.com
mishrakumarashishrgh@gmail.com

Sr. No. ________ Date ____________

कराये जाने से त्रस्त होकर अंशकालीन कर्मचारी रविन्द्रनाथ राम ने आत्महत्या का प्रयास किया है ।

3. किसी भी समाचार पत्र एवं किसी भी न्यूज पोर्टल में किसी भी प्रकार का समाचार प्रसारित व प्रकाशित करने के पूर्व **प्रेस एवं पत्रकारित पंजीकरण अधिनियम, 2023, के तहत तथा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के तहत तथा समाचार पत्र (अपराध के लिये उकसावा) अधिनियम 1908** के तहत संपूर्ण सच्चाई का पता लगाना एवं जिस व्यक्ति के विरुद्ध समाचार प्रकाशित अथवा प्रसारित किया जाना हो, उसका भी पक्ष जानना आवश्यक है परंतु चूंकि आप अभिकथित रविन्द्र विश्वकर्मा के आपराधिक षड़यंत्र में शामिल हैं इसलिये आपने मेरी पक्षकारा का पक्ष जानने का कोई प्रयास किये बिना ही मेरी पक्षकारा को **तंग, परेशान एवं प्रताड़ित करने हेतु, उसे ब्लेकमेल कर उससे अवैध रकम की वसूली हेतु एवं मेरी पक्षकारा की प्रतिष्ठा भंग करते हुए उसकी मान–हानि हेतु तथा मेरी पक्षकारा को अपमानित कर उसके प्रति लोक अशांति का माहौल बनाने हेतु** कथित रविन्द्र विश्वकर्मा के **झूठे तथ्यों पर आधारित इन्टरव्यू** के साथ यह समाचार सोशल मीडिया में प्रसारित करना प्रारंभ कर दिया कि मेरी पक्षकारा द्वारा रविन्द्र पिता गेंदाराम से फोटोग्राफी, ड्रायविंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर का काम, फोटो प्रदर्शनी तैयार कराने का काम तथा अपने निजी कार्य कराने का काम कराया जाता था तथा उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था तथा उसे SC ST Act में फंसा कर जेल भेजवा देने की धमकी दी जाती थी जिसके कारण लगातार प्रताड़ना और मानसिक दबाव से परेशान होकर 13 अगस्त 2025 की शाम लगभग 7:30 बजे वह किटनाशक खाकर आत्महत्या करने को मजबूर हो गया एवं किटनाशक का सेवन कर लिया ।

4. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मेरी पक्षकारा का फोटो डालकर उसके विरुद्ध गंभीर आरोप युक्त समाचार प्रसारित करने के पूर्व आपने यह भी जानने का प्रयास नहीं किया कि रविन्द्र विश्वकर्मा ने वास्तव में विषपान किया था या नहीं एवं उसके द्वारा विषपान करने की कोई प्राथमिक साक्ष्य किसी हास्पिटल में या किसी वैज्ञानिक संस्थान में या पैथालॉजी रिपोर्ट में उपलब्ध है या नहीं ?

5. आपके द्वारा मेरी पक्षकारा का पक्ष ज्ञात किये बिना उपरोक्तानुसार समाचार सोशल मीडिया में प्रसारित करने के फलस्वरूप मेरी पक्षकारा के परिचितों एवं रिश्तेदारों एवं

**OFFICE OF ASHOK KUMAR MISHRA, ASHISH KUMAR MISHRA**
ADVOCATE BELADULA, RAIGARH (C.G.)
MO. NO. - 98261 78414, 74406 06320, 62325 05188
e- Mail : ashok566303@gmail.com
mishrakumarashishrgh@gmail.com

Date ____________

कार्यालयीन कर्मचारियों तथा आम जनता के मध्य उसकी प्रतिष्ठा भंग हो गई तथा उसे घोर मानसिक कष्ट, वेदना और संताप उत्पन्न हुई तथा मेरी पक्षकारा चूंकि राजपत्रित शासकीय अधिकारी है मानसिक रूप से घोर प्रताड़ित हुई ।

6. मेरी पक्षकारा अपनी उपरोक्त क्षतियों का मूल्यांकन 1,00,00,000/–(एक करोड़ रूपये) करती है, जिसकी अदायगी हेतु तथाकथित रिपोर्टकर्ता एवं आपके सहयोगियों सहित आप स्वयं भी संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी हैं।

7. मेरी पक्षकारा के विरुद्ध इस नोटिस में वर्णित अपमानकारी संदेश/समाचार सोशल मीडिया में आपने उसे तंग, प्रताड़ित और परेशान करने के उद्देश्य से एवं उसका भयादोहन कर उससे अवैध रकम की वसूली करने अन्यथा उसे बदनाम कर देने के उद्देश्य से प्रसारित किया है तथा आप एवं आपके सहयोगियों ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये ही रविन्द्र विश्वकर्मा के साथ षड़यंत्र करके उसके विषपान करने एवं विषपान पश्चात पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखाने का **षड़यंत्र पूर्ण कथानक** तैयार किया था एवं आप तथा आपके सहयोगियों के इस षड़यंत्र के ही कारण रविन्द्र विश्वकर्मा द्वारा बिना विषपान किये विषपान करने का नाटक करते हुये मेरी पक्षकारा के विरुद्ध **पूर्णतः झूठी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई एवं तत्संबंध में झूठी शिकायतें प्रस्तुत की गई ।**

8. आपका उपरोक्त वर्णित कृत्य **सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66, 67 के अंतर्गत एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356(2), 356(3) एवं 352 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसके लिये आप पृथक से आपराधिक अभियोजन (Criminal Prosecution)** के पात्र हैं ।

9. मेरी पक्षकारा द्वारा आपसे निम्नांकित दावाकृत प्रस्तावित अनुतोष प्राप्त न होने पर उक्त अनुतोषों की प्राप्ति हेतु आपके विरुद्ध वैधानिक एवं न्यायालयीन कार्यवाहियां प्रारंभ की जाना प्रस्तावित एवं विचाराधीन है :–

**अ– मेरी पक्षकारा का पक्ष ज्ञात कर उससे लिखित क्षमा याचना करते हुये अभिकथित झूठे तौर पर प्रसारित समाचार का एक सप्ताह तक खेद सहित खण्डन प्रसारित करें तथा साथ ही मेरी पक्षकारा का पक्ष अपने समाचार में निरंतर एक सप्ताह तक प्रसारित करें ।**

**OFFICE OF ASHOK KUMAR MISHRA, ASHISH KUMAR MISHRA**
ADVOCATE BELADULA, RAIGARH (C.G.)
MO. NO. - 98261 78414, 74406 06320, 62325 05188
e- Mail : ashok566303@gmail.com
mishrakumarashishrgh@gmail.com

Date ____________

Sr. No. ________

ब– आपके अपकृत्य के परिणामस्वरूप मेरी पक्षकारा को व्युत्पन्न गहन मानसिक कष्ट, संताप एवं वेदना तथा मानहानि जनित मदों में मेरी पक्षकारा को 1,00,00,000/–(एक करोड़ रूपये) क्षतिपूर्ति रकम का भुगतान कर देवें ।

अतएव एतदद्वारा आपको आगाह किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर मेरी पक्षकारा को उसके द्वारा दावाकृत प्रस्तावित अनुतोष, जो इस नोटिस की कण्डिका 9 अ एवं ब में वर्णित हैं, मेरी पक्षकारा को प्रदान कर दें अन्यथा उक्त अनुतोषों की प्राप्ति हेतु मेरी पक्षकारा द्वारा आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी जावेगी जिसके संपूर्ण व्ययों के वहन हेतु आप उत्तरदायी होगें, साथ ही आपके द्वारा मेरी पक्षकारा को इस नोटिस का मूल्य 10,000/–रू. भी देय होगा।

इस नोटिस की एक सत्यप्रतिलिपि आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाहियां प्रारंभ करने के उद्देश्य से मेरे कार्यालय में सुरक्षित रख ली गई है।

| |
|---|
| इस नोटिस का मूल्य 10,000/–(दस हजार रूपये) |

Ashok Kumar Mishra
Advocate
Beladula Raigarh (C.G.)
Regd. No.- 995/1992
Mob. No.- 744[illegible]20

भवदीय
अशोक कुमार मिश्रा
एडवोकेट
रायगढ़ (छ0ग0)

नोट :– इस नोटिस की एक सत्य प्रतिलिपि थाना प्रभारी, पुलिस थाना लैलुंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।